फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर......मुकाम......

...... तहसीलदार बाडमेर ......बनाम...... राजस्थान सरकार......

किस्म मुकदमा रास्तों का निराकरण 136 PLRA नं. ......338...... सन् 2019

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
20.8.19		

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नही है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राज/19/1875 दिनांक 20.08.2019 द्वारा मौजा रासोणी भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील बाडमेर में निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है:–

क्र. स.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा (बीघा मे)	रास्ते की लम्बाई–चौडाई (फीट मे)	रास्ते मे प्रभावित रकबा (बीघा मे)
1	2	3	4	5	6
1	राजस्थान सरकार (किस्म गै.मु. मगरा)	700/295	108.09	660 X 30 फीट	01.03

अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार का कथन है कि ग्राम रासोणी भीलों की बस्ती (बालेरा) में स्थाई रास्ता जो बालेरा से जसाई डामर सड़क तक जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल 01.03 बीघा है। उक्त रास्ता सरकारी भूमि में से होकर निकलता हैं। वर्तमान में उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज नही है, परन्तु मौके पर स्थाई रास्ता है, जो आवेदन के संलग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है। लिहाजा उक्त मार्ग को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख एवं नक्शा का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया है। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सरकारी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

भूमि दर्ज है।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि निम्नांकित भूमि राजकीय भूमि है, जिस पर स्थाई रास्ता है, परन्तु उक्त स्थाई रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में अंकन नही हो पाया है, जिसे रास्ते के रूप में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः तहसीलदार बाडमेर का आवेदन स्वीकार किया जाकर निम्नांकित भूमि को संलग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है रास्ते के रूप अंकित करने के आदेश दिये जाते है:–

क. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई–चौड़ाई (फीट में)	रास्तें में प्रभावित रकबा (बीघा में)
1	2	3	4	5	6
1	राजस्थान सरकार	700/295	108.09	660 X 30 फीट	01.03

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। नक्शा में तरमीम करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner